covid 19 st.

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

प्रेष्य,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मेरठ।

संख्या– 1160 / एसटी–नगर / कोविड–19, दिनांक– 05 जून, 2020

विषय– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 20.5.2020 के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जोन / कन्टेनमैन्ट जोन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांकित 22.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या–1382 / 2020 / सीएक्स–3, दिनांक 31.05.2020 द्वारा कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक 01–06–2020 से दिनांक 30–06–2020 तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्कम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा पूर्व पारित आदेश संख्या–1465 / ओ0एस0डी0–कैम्प / 2020, दिनांक 21.05.2020 द्वारा दिनांक 18.05.2020 से दो सप्ताह के लिए बढाई गयी लॉक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (नगर निगम वार्ड संख्या–06, 10, 28 एंव 31 को छोडकर) एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड–19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down पूर्व की भांति लागू रहने के आदेश जारी किए गए थे।

उक्त के कम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा अपने आदेश संख्या–1532 / ओ0एस0डी0–कैम्प / 2020, दिनांक 31.05.2020 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि जनपद मेरठ में प्रतिदिन कोविड–19 की जांच में धनात्मक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3–2020–डीएम–1 (ए) दिनांक 30.05.2020 के कम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या–1382 / 2020 / सीएक्स–3, दिनांक 31.05.2020 पर विचार विमर्श कर अन्तिम आदेश पारित किए जायेंगें। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय के उक्त आदेश में सम्पूर्ण नगर निगम एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड–19 महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' के रूप में रहने की अवधि को अग्रिम आदेशों तक बढाया गया है। उक्त अवधि में नगर निगम एंव कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। पूर्व आदेश एंव उक्त आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

कृपया तद्नुसार आख्या सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार तिवारी)
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।

प्रतिलिपि–

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
मेरठ।